तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
17.11.2020	कुलाय करोफेन व०/P.O. बहस ...अन्तरिम... कार्यवाही दिनांक 19-1-2021 को पेश हो।	
19/1/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी गैरहाजिर। बावजूद तामील उपस्थित नहीं उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस 2.2 दिनांक 28/1/21 को पेश हो। SDOK	
28/1/21	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थी वकील सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/2/21 को पेश हो। SDOK	
4-2-21	वकील प्रार्थी उपस्थित। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर और गैरसायल को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वो आराजी खसरा नम्बर 118/1317 जो० मु० बगीची वाके ग्राम खेरली रेल तहसील कठूमर के कि०बी० भी भू भाग पर कच्चा पक्का निर्माण ना करे सायल व तरतीबी प्रतिवादी प्रतिवादी के उपयोग एवं उपभोग में रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे व उक्त बगीची से सायल व तरतीबी प्रतिवादी को बेदखल कर स्वयं कब्जा ना करे। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया। SDO	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/113/2020

वउनवान

1. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र श्री केदारनाथ जाति ब्राहमण निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर

_____ सायल

बनाम

1. सुखरामदास पुत्र श्री नरहरिदास जाति बाबाजी निवास बार्ड संख्या 1 बगीची खेरलीरेल तहसील कठूमर जिला अलवर।

____ गैरसायल

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री भागचन्द जैन एडवोकेट – अधिवक्ता सायल

आदेश

दिनांक 04.02.2021

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 118/1317 रकवा 0.06 हे. गैरमुमकिन बगीची वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर में स्थित है। जो वगीची सायल व तरतीवी प्रतिवादी के शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी में सायल के वुजुर्गान के पेड लगे हुये है तथा सायल के पिता जव जीवित थे तो उन्होंने उक्त वगीची में तरफ दक्षिण की ओर एक मंदिर बनवा दिया था जिसमें हनुमानजी की मूर्ति, शंकर भगवान की मूर्ति वो रघुनाथ भगवान की मूर्ति पदरा दी तथा सायल ने उक्त मंदिर में सेवा पूजा के लिये एक शास्त्री बाबा के निधन होने पर उसका दाह संस्कार भी उक्त वगीची में करके उनका चवूतरा बनवाकर उनकी मूर्ति लगवा दी तथा चारों तरफ की पक्की बाउण्ड्री करवा दी तरफ दक्षिण को मंदिर बना हुआ है तथा तरफ उत्तर को खाली जगह पडी हुई है मंदिर में लोग दर्शन करने भी आते जाते रहते है जिस विवादित वगीची के सायल वो तरतीवी प्रतिवादी मालिक है तथा राजस्व रेकार्ड में सायल व तरतीवी प्रतिवादी के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। गैरसायल का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। लेकिन गैरसायल लटठबाज व्यक्ति है जो मकंदिर में दर्शन करने आता रहता है जो गैरसायल सायल की विवादित वगीची पर जवरन कब्जा करना चाहता है तथा गैरसायल आये दिन गुण्डे बदमाश व्यक्तियों को उक्त बगीची मे बुलाकर जवरन कब्जा करना चाहता है तथा रात्रि के समय गैरसायल उक्त बगीची में सट्टे का काम करता है सायल मना करता है तो गैरसायल सायल को जान से मारने की धमकी देता है वगीची पर कब्जा करने की धमकी देता है तथा वगीची में जवरन निर्माण करने की धमकी देता है। गैरसायल मना करने से नहीं मान रहा है यदि गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो सायल को अपार हानि असुविधा व क्षति होगी। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गेरसायलान को आराजी खसरा नम्बर 118/1317 रकवा 0.06 हे. गै0मु0 बगीची वाके ग्राम खेरलीरेल में सायल के उपयोग व इस्तेमाल में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करने व इस पर जवरन कबजा ना करने व जवरन निर्माण ना करने वावत ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल वावजूद सूचना हाजिर नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 19.01.2021 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 वाके ग्राम खेरलीरेल की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों व दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी सायल व तरतीवी प्रतिवादी की वहिस्सा बराबर शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिससे गैरसायल का बास्ता नहीं है। राजस्व रेकार्ड में सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी खातेदार दर्ज है। गैरसायल का विवादित आराजी से किसी तरह का बास्ता नहीं है। गैरसायल जवरन विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहता है तथा निर्माण करना चाहता है। यदि गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो सायल को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। इस वजह से गैरसायल को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता सायल की एकपक्षिय वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृश्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता सायल की एक पक्षिय वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत छाया प्रति जमाबन्दी में विवादित आराजी सायल एंव तरतीवी प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल वावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। सायल व तरतीवी प्रतिवादी विवादित वगीची के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी से गैरसायल का बास्ता नहीं है यदि जवरन गैरसायल ने सायल व तरतीवी प्रतिवादी को वगीची से वेदखल कर दिया या विवादित वगीची पर कब्जा कर लिया या किसी भू भाग पर निर्माण कर लिया तो अपार हानि असुविधा व क्षति सायल को होना संभव है। गैरसायल को पाबन्द किये जाने से उसे किसी तरह का नुकशान होता हो ऐसी स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृश्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 118/1317 गै0मु0 बगीची वाके ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर के किसी भी भू भाग पर कच्चा पक्का निर्माण ना करे सायल व तरतीवी प्रतिवादी के उपयोग एंव उपभोग में रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे व उक्त बगीची से सायल व तरतीवी प्रतिवादी को वेदखल कर स्वंय कब्जा ना करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 04.02.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

4.2.21
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)